मेन्स मास्टर

क्या शहरी जल व्यवस्था ध्वस्त हो रही है?

संदर्भ

• बेंगलुरु सहित भारत के शहरी केंद्र सूखे के कारण गंभीर जल संकट का सामना कर रहे हैं।

पृष्ठभूमि

• दक्षिण भारत में प्रमुख जलाशय 25% या उससे कम क्षमता पर हैं।
• यह पहली बार नहीं है जब किसी भारतीय शहर को इस तरह के संकट का सामना करना पड़ा है, जो जल अवसंरचना के मुद्दों को उजागर करता है।

शहरी जल संकट क्या है?

• अनियोजित शहरीकरण और प्राकृतिक संसाधनों के नुकसान से प्रेरित जल कुप्रबंधन का परिणाम।
• बेंगलुरु ने विशेष रूप से देखा है:
  ◦ 5 दशकों में कंक्रीट क्षेत्र में 1055% की वृद्धि।
  ◦ जल निकायों का 79% नुकसान।
  ◦ वनस्पति का 18% नुकसान।

संकट के पीछे के कारण

• भूजल पर अत्यधिक निर्भरता (बेंगलुरु की आपूर्ति का 40%)।
• कावेरी जलग्रहण क्षेत्र में वन क्षेत्र का नुकसान (18% तक कम)।
• जलवायु परिवर्तन के प्रभाव।
• कई, खराब तरीके से प्रबंधित जल एजेंसियों के साथ खंडित शासन।

क्या यह मानव निर्मित है?

• हाँ, मुख्य रूप से खराब शहरी नियोजन, प्राकृतिक जल प्रणालियों के विनाश और एकीकृत जल प्रबंधन की कमी के कारण।

क्या इसे प्रबंधित या सुधारा जा सकता है?

• विशेषज्ञों का तर्क है कि हाँ, लेकिन इसके लिए निम्न की आवश्यकता है:
  ◦ जल आपूर्ति पर ध्यान केंद्रित करने से हटकर समग्र जल प्रबंधन दृष्टिकोण की ओर बदलाव।
  ◦ वर्षा जल संचयन, झीलों के जीर्णोद्धार और अपशिष्ट जल उपचार को प्राथमिकता देना।
  ◦ प्रभावी नदी बेसिन प्राधिकरणों का निर्माण।
  ◦ पारिस्थितिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने के साथ विकेंद्रीकृत शहरी जल प्रबंधन।

व्यावहारिक उपाय

• छत पर वर्षा जल संचयन।
• बाढ़ के प्रबंधन के लिए झीलों का जीर्णोद्धार और उनकी अंतर्संबंधता की बहाली।
• जल प्रबंधन का विकेंद्रीकरण और शहरों को कंक्रीट से मुक्त करना।

आगे की राह

• पारिस्थितिक जल प्रबंधन को प्राथमिकता देने के लिए संस्थागत सुधार।
• शासन में जवाबदेही और भ्रष्टाचार से निपटना।
• स्वस्थ कावेरी नदी और बेंगलुरु के अस्तित्व के बीच संबंध के बारे में जन जागरूकता।
• विशेषज्ञता और टिकाऊ समाधानों में निवेश।
• प्रमुख शहरों पर बोझ कम करने के लिए विकेंद्रीकृत विकास मॉडल पर विचार करना।

विकसित भारत का मार्ग: भारत को समग्र सकल घरेलू उत्पाद की बजाय प्रति व्यक्ति को लक्ष्य क्यों बनाना चाहिए

सकल घरेलू उत्पाद का महत्व: कुल बनाम प्रति व्यक्ति

• सकल घरेलू उत्पाद और वैश्विक प्रभाव
  ◦ एक बड़ा सकल घरेलू उत्पाद भू-राजनीतिक भार में तब्दील हो जाता है। जीडीपी में अमेरिका से आगे निकलने वाला चीन महत्वपूर्ण होगा, भले ही उनकी आबादी और जीवन की गुणवत्ता में बहुत अंतर हो।
  ◦ भारत 2028 तक 6% वार्षिक वृद्धि के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, जबकि जापान और जर्मनी केवल 2% की दर से बढ़ रहे हैं।

• प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद: विकास का सही माप
  ◦ प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद आर्थिक उत्पादन को जनसंख्या से विभाजित करता है, जिससे औसत व्यक्ति के जीवन स्तर का पता चलता है।
  ◦ मोनाको जैसे छोटे देशों में उच्च प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद महाशक्ति की स्थिति के बराबर नहीं है।
  ◦ भारत के लिए, इसकी विशाल आबादी के साथ, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद व्यापक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत का विकास: संभावना और प्रगति

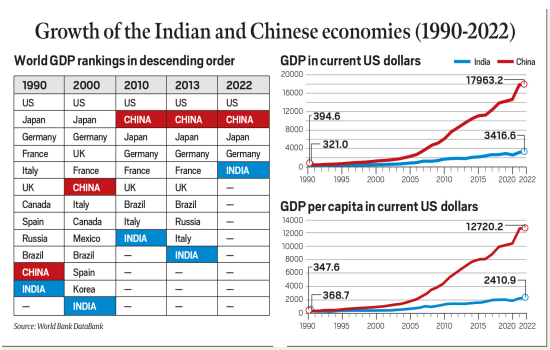

1990	2000	2010	2013	2022
US	US	US	US	US
Japan	Japan	CHINA	CHINA	CHINA
Germany	Germany	Japan	Japan	Japan
France	UK	Germany	Germany	Germany
Italy	France	France	France	INDIA
UK	CHINA	UK	UK	—
Canada	Italy	Brazil	Brazil	—
Spain	Canada	Italy	Russia	—
Russia	Mexico	INDIA	Italy	—
Brazil	Brazil	—	INDIA	—
CHINA	Spain	—	—	—
INDIA	Korea	—	—	—
—	INDIA	—	—	—

• संचयी विकास का प्रभाव
  ◦ यहां तक कि मामूली 5% वार्षिक जीडीपी वृद्धि दर के परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था 30 वर्षों में 4.32 गुना बढ़ जाती है ("संचयी विकास का नियम")।
  ◦ भारत को 1990 से औसतन 6% वार्षिक जीडीपी वृद्धि का लाभ मिला है - परिवर्तनकारी, लेकिन उसी अवधि में चीन की असाधारण 8.9% दर से कम।

• भारत की विकास स्थिति
  ◦ चीन की प्रति व्यक्ति जीडीपी 1990 में $348 (भारत से नीचे) से बढ़कर 2022 में $12,720 हो गई। उसी समय अवधि में भारत की जीडीपी बढ़कर $2,411 हो गई।
  ◦ भारत वर्तमान में एक "निम्न-मध्यम आय" वाला देश है। "विकसित" बनने के लिए, इसे विश्व बैंक की "उच्च आय" सीमा $13,846 प्रति व्यक्ति GNI तक पहुँचने की आवश्यकता है।

लक्ष्य: 2047 तक "विकसित भारत"

• उच्च जीवन स्तर का लक्ष्य
  ◦ 2047 तक "विकसित भारत" का मोदी सरकार का लक्ष्य मूल रूप से प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को "उच्च आय" स्तर की ओर बढ़ाने से जुड़ा है।

निष्कर्ष

भारत को दो-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है:

• अधिक वैश्विक प्रभाव के लिए उच्च सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि की तलाश करें।
• अपने नागरिकों के लिए जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार सुनिश्चित करने के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना।

प्रीलिम्स बूस्टर

सरकारी संस्था ने आवश्यक दवाओं की कीमतों में फिर की बढ़ोतरी, कहा 'यह मामूली है'

थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर सरकार द्वारा आवश्यक दवाओं की कीमतों में हाल ही में की गई मामूली बढ़ोतरी ने उच्च इनपुट लागत और कच्चे माल के लिए भारत की चीन पर निर्भरता के कारण दवा कंपनियों के बीच चिंता पैदा कर दी है। लेख में राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) और औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश (डीपीसीओ) का उल्लेख किया गया है। यहां उनके बारे में उल्लिखित मुख्य बिंदु दिए गए हैं:

🏥 एनपीपीए (राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण) की स्थापना भारत सरकार ने 1997 में रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत दवा मूल्य निर्धारण को विनियमित करने के लिए की थी।

💊 एनपीपीए का प्राथमिक उद्देश्य आम जनता के लिए सस्ती कीमतों पर दवाओं की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करना है।

📈 एनपीपीए सामर्थ्य और स्थिरता के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय आवश्यक दवाओं की सूची (एनएलईएम) में सूचीबद्ध दवाओं और उपकरणों के लिए 10% से अधिक की कीमत वृद्धि का निर्देश देने का अधिकार रखता है

📋 डीपीसीओ (ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर) 2013 अनुसूचित योगों के मूल्य विनियमन की अनुमति देता है, यह सुनिश्चित करता है कि आवश्यक दवाएं आबादी की पहुंच में रहें।

💰 डीपीसीओ आवश्यक दवाओं के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करता है, अत्यधिक मूल्य निर्धारण को रोकता है और यह सुनिश्चित करता है कि ये दवाएं समाज के सभी वर्गों के लिए सस्ती हों।

🔄 डीपीसीओ थोक मूल्य सूचकांक (डब्लूपीआई) में परिवर्तन के आधार पर वार्षिक मूल्य संशोधन की अनुमति देता है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए सामर्थ्य बनाए रखते हुए बाजार की गतिशीलता को दर्शाने वाले समायोजन की अनुमति मिलती है।

एएमआर के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व अगली पीढ़ी के चिकित्सक करेंगे

🌍 दुनिया इस समय एक ऐसे महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहाँ रोगाणुओं द्वारा प्रतिरोध विकसित होने के कारण शक्तिशाली दवाओं की प्रभावशीलता कम हो रही है, जो वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है।

1920 के दशक में एंटीबायोटिक दवाओं की अभूतपूर्व खोज ने उन बीमारियों के उपचार में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिह्नित किया जो कभी घातक थीं। हालाँकि, पशु और पोल्ट्री उद्योगों सहित एंटीबायोटिक दवाओं के अत्यधिक उपयोग और अत्यधिक उपयोग ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) के उद्भव में योगदान दिया है।

🇮🇳 भारत AMR के एक बड़े बोझ से जूझ रहा है, जो संक्रामक रोगों के उच्च प्रसार, अपर्याप्त संक्रमण रोकथाम प्रथाओं, एक तनावपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली, बिना नुस्खे के एंटीबायोटिक दवाओं की व्यापक उपलब्धता और दवा-प्रतिरोधी पैटर्न और खपत को ट्रैक करने के लिए सीमित निगरानी तंत्र जैसे विभिन्न कारकों से प्रेरित है।

📚 एएमआर की बढ़ती चुनौती के जवाब में, एएमआर घोषणा ट्रस्ट और रोटारैक्ट मेडिक्री के बीच एक सहयोगी पहल शुरू की गई है, ताकि शिक्षा और व्यावहारिक एकीकरण के माध्यम से अगली पीढ़ी के चिकित्सा पेशेवरों को अत्याधुनिक स्टीवर्डशिप प्रथाओं से लैस किया जा सके।

👷 परियोजना 'प्रिस्क्राइबर टुडे, स्टीवर्ड टुमॉरो' भविष्य के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य को विकसित करने के लिए चिकित्सा प्रशिक्षण में प्रारंभिक शिक्षा के महत्व को रेखांकित करती है, जहां रोगाणुरोधी स्टीवर्डशिप को न केवल प्रोत्साहित किया जाता है, बल्कि स्वास्थ्य सेवा प्रथाओं में गहराई से शामिल किया जाता है।

2022-24 में 55 कंपनियों का इलेक्टोरल बॉन्ड दान 7.5% की सीमा से ऊपर चला गया

💸 2022-24 में 55 कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड दान पर 7.5% की सीमा को पार कर लिया, कुल दान राशि ₹1,377.9 करोड़ तक पहुँच गई।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट के 15 फरवरी के फैसले ने राजनीतिक दलों को असीमित कॉर्पोरेट योगदान की अनुमति देने वाले प्रावधान को हटाने को भारतीय संविधान का उल्लंघन माना।

📊 385 कंपनियों के चुनावी बॉन्ड डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 55 फर्मों ने 7.5% की सीमा को पार कर लिया, सीमा से ₹1,377.9 करोड़ अधिक का योगदान दिया।

🔍 भाजपा को सबसे अधिक चुनावी बॉन्ड दान मिला, कुल दान का 71% ₹1,414 करोड़ था।

📰 द हिंदू और एक स्वतंत्र शोध टीम द्वारा किए गए विश्लेषण में 385 फर्मों में से 221 से बॉन्ड डेटा और वित्तीय जानकारी का उपयोग किया गया।

सरकार जन्म पंजीकरण के लिए माता-पिता का धर्म दर्ज करेगी

👨‍👩‍👧 केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आदर्श नियम पेश किए हैं, जिसके तहत माता-पिता को बच्चे के जन्म का पंजीकरण करते समय अपना धर्म अलग से बताना होगा। यह केवल परिवार के धर्म को दर्ज करने की पिछली प्रथा से अलग है। इस पहल का उद्देश्य जन्म पंजीकरण प्रक्रियाओं के दौरान एकत्र किए गए जनसांख्यिकीय डेटा को बढ़ाना और परिवारों के भीतर धार्मिक संबद्धता का अधिक व्यापक रिकॉर्ड सुनिश्चित करना है।

📝 प्रस्तावित "फ़ॉर्म नंबर 1-जन्म रिपोर्ट" के तहत, माता-पिता को अब बच्चे के परिवार के धर्म के अलावा पिता और माता दोनों के धर्म को निर्दिष्ट करना होगा। डेटा संग्रह के इस विस्तार का उद्देश्य परिवारों की धार्मिक जनसांख्यिकी के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी प्रदान करना और सामाजिक विविधता की अधिक सूक्ष्म समझ में योगदान देना है।

📊 जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के अनुसार जन्म और मृत्यु डेटाबेस, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मतदाता सूची, आधार संख्या, राशन कार्ड, पासपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेजों सहित विभिन्न आधिकारिक रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में काम कर सकता है। डेटा के इस एकीकरण का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और विभिन्न सरकारी डेटाबेस में सटीक जनसांख्यिकीय जानकारी सुनिश्चित करना है।

📜 यह अधिनियम देश में सभी जन्मों और मृत्युओं के डिजिटल पंजीकरण को नागरिक पंजीकरण प्रणाली पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य बनाता है, जिससे महत्वपूर्ण रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए अधिक कुशल और केंद्रीकृत दृष्टिकोण की सुविधा मिलती है। इस प्रणाली के तहत डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र जारी करना जन्म तिथि को सत्यापित करने के लिए एक व्यापक दस्तावेज के रूप में काम करेगा, खासकर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश जैसी सेवाओं के लिए।

📋 इसके अलावा, यह पहल पंजीकृत जन्मों और मृत्युओं का राष्ट्रीय स्तर का डेटाबेस बनाए रखने के लिए मुख्य रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार के बीच डेटा साझा करने और समन्वय के महत्व पर जोर देती है। इस सहयोगात्मक प्रयास का उद्देश्य डेटा की सटीकता को बढ़ाना, सामाजिक-आर्थिक नियोजन को सुविधाजनक बनाना और महत्वपूर्ण आँकड़ों और जनसांख्यिकीय रुझानों के आधार पर सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना है।

राजनीतिक दलों को प्रतीक चिन्ह कैसे आवंटित किये जाते हैं?

🗳️ राजनीतिक दलों को प्रतीकों का आवंटन एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसकी देखरेख भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के अनुसार की जाती है। यह आदेश निष्पक्ष और संगठित चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चुनावों में भाग लेने वाले दलों और उम्मीदवारों को प्रतीक आवंटित करने के दिशा-निर्देशों को रेखांकित करता है।

📜 'राष्ट्रीय' या 'राज्य' पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए, विशिष्ट मानदंडों को पूरा करना होगा, जैसे कि लोकसभा या विधानसभा में एक निश्चित संख्या में सीटें जीतना या आम चुनाव में वोटों का एक निश्चित प्रतिशत हासिल करना। चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता और स्थिरता बनाए रखने के लिए, प्रतीक आदेश में निर्धारित इन मानदंडों के आधार पर पार्टियों और उम्मीदवारों को प्रतीक आवंटित किए जाते हैं।

🗳️ मतदान प्रक्रिया में प्रतीकों का महत्वपूर्ण महत्व है, खासकर भारत जैसे विविधतापूर्ण लोकतंत्र में, जहाँ आबादी का एक बड़ा हिस्सा निरक्षर हो सकता है। ये प्रतीक मतदाताओं को मतपत्र पर अपने पसंदीदा उम्मीदवारों की पहचान करने, मतदान प्रक्रिया को सरल बनाने और उम्मीदवार चयन में स्पष्टता सुनिश्चित करने में सहायता करते हैं।

🔍 पंजीकृत लेकिन गैर-मान्यता प्राप्त दलों को चुनावों के दौरान एक समान प्रतीक प्राप्त करने का अवसर मिलता है, यदि वे विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जैसे कि न्यूनतम संख्या में निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ना। यह प्रावधान छोटी पार्टियों को चुनावी प्रक्रिया में प्रभावी रूप से भाग लेने की अनुमति देता है और मतपत्र पर समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।

🔄 प्रतीकों का आवंटन 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर संचालित होता है, जिसके लिए पार्टियों को निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्रतीकों के लिए आवेदन करना होता है। यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि प्रतीकों को व्यवस्थित तरीके से आवंटित किया जाए, जिससे टकराव को रोका जा सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक पार्टी को प्रतिनिधित्व के लिए अपने पसंदीदा प्रतीक का चयन करने का उचित अवसर मिले।